अध्याय–XII
ट्रेन–स्टाफ और टिकट पद्धति

12.01. ट्रेन–स्टाफ और टिकट पद्धति की आवश्यक बातें:– जहाँ दो स्टेशनों के बीच गाड़ियों का संचालन ट्रेन–स्टाफ और टिकट पद्धति के अनुसार होता है, वहां:–

(क) ऐसे स्टेशनों में से केवल एक ही स्टेशन पर, एक ट्रेन–स्टाफ रखा जाएगा, तथा

(ख) किसी भी ऐसे स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए कोई गाड़ी तब तक नहीं चलाई जाएगी जब तक कि वह ट्रेन–स्टाफ उस स्टेशन पर मौजूद नहीं है जहाँ से गाड़ी चलाई जानी है और चलाने की अनुमति देते समय स्टेशन मास्टर ऐसा ट्रेन–स्टाफ लोको पायलट को सुपुर्द नहीं कर देता या उसे दिखा नहीं देता।

12.02. यह पद्धति कहां लागू होगी:– ट्रेन–स्टाफ और टिकट पद्धति पर गाड़ियों का संचालन केवल इकहरी (सिंगिल) लाइन पर ही किया जायेगा और गाड़ियों को केवल उन्हीं स्टेशनों के बीच चलाया जायेगा जिन्हें विशेष अनुदेशों द्वारा ट्रेन स्टाफ स्टेशन घोषित कर दिया गया है।

12.03. ट्रेन–स्टाफ और टिकट पद्धति पर अनुगामी गाड़ियों के लिए अनुपालनीय शर्तें:– ट्रेन–स्टाफ स्टेशनों के बीच एक ही दिशा में एक के बाद एक अनुगामी गाड़ियां तब तक नहीं चलाई जायेंगी, जब तक कि–

(क) लोको पायलट को उससे पहले जाने वाली गाड़ी के छूटने के समय की और उसके रूकने के अगले स्थान की सही प्रकार से चेतावनी नहीं दे दी जाती है।

(ख) सभी गाड़ियां समान गति से नहीं चलाई जाती हैं और यह गति विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी, तथा

(ग) उससे पहले वाली गाड़ी को छूटे हुए पन्द्रह मिनट नहीं बीत चुके हैं।

12.04. लोको पायलट के पास ट्रेन–स्टाफ या ट्रेन–स्टाफ टिकट का होना:– किसी स्टेशन से कोई गाड़ी तब तक नहीं प्रस्थान करेगी जब तक कि लाइन के जिस सेक्शन पर उसे जाना है उसके लिए ट्रेन–स्टाफ या ट्रेन–स्टाफ टिकट लोको पायलट के पास नहीं है और जिसे वह अपने साथ यात्रा पर ले जाएगा।

12.05. ट्रेन–स्टाफ या ट्रेन–स्टाफ टिकट लोको पायलट को कौन देगा:– ट्रेन–स्टाफ या ट्रेन–स्टाफ टिकट लोको पायलट को स्टेशन मास्टर या विशेष अनुदेशों के अधीन इस काम के लिए नियुक्त कोई अन्य कर्मचारी देगा।

12.06. ट्रेन स्टाफ या ट्रेन स्टाफ टिकट लोको पायलट को कब दिया जायेगा:–

(1) यदि किसी गाड़ी के पीछे कोई अनुगामी गाड़ी के जाने का आशय नहीं है और उससे पहले विपरीत दिशा की किसी गाड़ी के लिए ट्रेन–स्टाफ की आवश्यकता है तो उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन ट्रेन–स्टाफ लोको पायलट को दे दिया जायेगा।

(2) जब ट्रेन–स्टाफ की वापसी से पहले, यदि किसी गाड़ी के पीछे अनुगामी गाड़ियों के जाने का आशय है तो उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम गाड़ी के लोको पायलट के सिवाय अन्य सभी गाड़ियों के लोको पायलटों को ट्रेन–स्टाफ टिकट यह बताने के लिए दिया जायेगा कि ट्रेन–स्टाफ पीछे आ रहा है, और यह ट्रेन–स्टाफ अन्तिम गाड़ी के लोको पायलट को ही दिया जायेगा।

(3) यदि सहायता के लिए किसी गाड़ी के पीछे दूसरा इंजन लगा है तो आगे वाले इंजन के लोको पायलट को ट्रेन–स्टाफ टिकट तथा पीछे वाले इंजन के लोको पायलट को ट्रेन–स्टाफ दिया जायेगा।

CHAPTER-XII

THE TRAIN – STAFF AND TICKET SYSTEM

12.01. Essentials of the Train-staff and Ticket System:- Where trains are worked between two stations on the train staff and Ticket System:-

(a) a single train staff shall be kept at one of such stations, and

(b) no train shall start from either of such stations to the other unless the said train staff is at the station from which the train starts and has either been handed to or shown to the Loco Pilot by the Station Master when giving such permission.

12.02. System where applicable:- Trains may be worked on the Train-staff and Ticket System only when the line is single and only between such stations as have been declared by special instructions to be Train-staff stations.

12.03. Conditions to be observed for following trains on the Train-staff and Ticket System:- Trains shall not follow one another in the same direction between train staff stations, unless:-

(a) the Loco Pilot has been properly warned of the time of departure of the preceding train and of the place at which it will next stop;

(b) all the trains are timed to run at the same speed, and such speed shall not exceed 25 kilometres an hour except under special instructions; and

(c) an interval of fifteen minutes has elapsed since the departure of the preceding train.

12.04. Loco Pilot to have Train staff or Train staff Ticket:- No train shall be from a station unless the Loco Pilot has in his possession to be carried with him on the journey, either the train staff or a train-staff ticket, for the section of the line over which the train is about to travel.

12.05. Train-staff or Train-staff Ticket:- by whom to be delivered to Loco Pilot:- The Train staff or Train staff Ticket shall be delivered to the Loco Pilot by the Station Master or by some railway servant appointed in this behalf by special instructions.

12.06. Train staff or Train staff Ticket:- When to be delivered to Loco Pilot:-

(1) When no other train is intended to follow before the Train staff will be required for a train running in the opposite direction, then subject to the provisions of sub-rule (3), the Train staff shall be delivered to the Loco Pilot.

(2) When other trains are intended to follow before the Train staff can be returned, then subject to the provisions of sub-rule (3), a train staff ticket indicating that the train staff is following shall be delivered to the Loco Pilot of each train except the last; and the train staff shall be delivered to the Loco Pilot of the last train.

(3) When a train is assisted by a second engine in the rear, a train staff ticket shall be delivered to the Loco Pilot of the front engine and the train staff shall be delivered to the Loco Pilot of the rear engine.

परन्तु यदि गाड़ी के साथ लगे दोनों इंजनों को उस पूरी दूरी तक जाना है, जहाँ तक कि ट्रेन–स्टाफ लागू होता है और उस गाड़ी के पीछे अन्य अनुगामी गाड़ियां हैं तो प्रथम उल्लिखित गाड़ी के साथ लगे हर इंजनों के लोको पायलटों को ट्रेन–स्टाफ टिकट दिया जायेगा।

(4) यदि किसी गाड़ी के आगे सहायता के लिए एक अन्य इंजन लगा है तो यथा स्थिति, ट्रेन–स्टाफ या ट्रेन–स्टाफ टिकट सबसे आगे वाले इंजन के लोको पायलट को दिया जायेगा।

(5) यदि मेंटीरियल ट्रेन को स्टेशनों के बीच में रूकना है तो ट्रेन–स्टाफ लोको पायलट को दे दिया जायेगा।

(6) ट्रेन–स्टाफ या ट्रेन–स्टाफ टिकट किसी भी गाड़ी के लोको पायलट को तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि गाड़ी प्रस्थान के लिए तैयार नहीं है।

(7) लोको पायलट ट्रेन–स्टाफ टिकट को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह यह न देख ले जो व्यक्ति उसे ट्रेन–स्टाफ टिकट दे रहा है उसके पास उस समय ट्रेन–स्टाफ मौजूद है।

12.07. ट्रेन स्टाफ का इंजन पर रहनाः– यदि ट्रेन–स्टाफ गाड़ी के लोको पायलट को दिया जाता है तो वह उसे इंजन पर इस हेतु निर्धारित सुस्पष्ट स्थान पर रखेगा।

12.08. जब तक ट्रेन स्टाफ वापस नहीं आ जाता तब तक गाड़ियों को प्रस्थान न करने दिया जायः– यदि किसी गाड़ी का लोको पायलट किसी स्टेशन से ट्रेन–स्टाफ ले गया है तो कोई अन्य गाड़ी उसी स्टेशन से प्रथम उल्लिखित गाड़ी के पीछे तब तक प्रस्थान नहीं करेगी जबतक कि ट्रेन–स्टाफ उस स्टेशन पर वापस नहीं आ जाता।

12.09. गाड़ी पहुंचने पर ट्रेन स्टाफ या ट्रेन स्टाफ टिकट का सौंपा जाना और टिकट को रद्द करनाः–

(1) जिस स्टेशन तक के लिए ट्रेन–स्टाफ या ट्रेन–स्टाफ टिकट दिया गया है उस स्टेशन पर गाड़ी के पहुंचने पर, लोको पायलट तुरन्त वह ट्रेन–स्टाफ ट्रेन–स्टाफ टिकट स्टेशन मास्टर को अथवा विशेष अनुदेशों के अधीन इसको लेने के लिए नियुक्त किसी रेल सेवक को दे देगा।

(2) जिस व्यक्ति को ऐसा कोई ट्रेन–स्टाफ टिकट दिया जाएगा वह उसे तुरन्त रद्द कर देगा।

12.10. ट्रेन स्टाफ और टिकट पद्धति में इंजन के असमर्थ हो जाने पर कार्य विधिः–

(1) यदि ट्रेन–स्टाफ लेकर जाने वाला इंजन दो स्टेशनों के बीच खराब हो जाता है तो फायरमैन उस ट्रेन–स्टाफ को लेकर उस स्टेशन की दिशा में जाएगा जहाँ उसे सबसे अच्छी सहायता मिल सकती है जिससे कि ट्रेन–स्टाफ उस स्टेशन पर सहायतार्थ जाने वाले इंजन के लोको पायलट को सुपुर्द करने के लिए उसे स्टेशन पर उपलब्ध हो सके।

(2) यदि ट्रेन–स्टाफ टिकट लेकर जाने वाला इंजन दो स्टेशनों के बीच खराब हो जाता है तो सहायता साधारणतः केवल उस स्टेशन से मांगी जाएगी जहाँ पर कि ट्रेन–स्टाफ छोड़ा गया है, किन्तु यदि सहायता विपरीत दिशा के स्टेशन से अधिक शीघ्र मिल सकती है तो ट्रेन–स्टाफ को सेक्शन के दूसरी ओर भेजने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

(3) यदि कोई इंजन दो स्टेशनों के बीच खराब हो जाता है तो फायरमैन सहायतार्थ जाने वाले इंजन के साथ उस स्थान तक जाएगा।

12.11. ट्रेन स्टाफ टिकट रखने की विधिः– ट्रेन–स्टाफ टिकट इस प्रयोजन के लिए दिये गये टिकट बॉक्स में रखे जायेंगे और उनके अन्दर लगे स्प्रिंग में फंसा दिया जाएगा, तथा उस बॉक्स को खोलने की चाभी वही ट्रेन–स्टाफ होगा जिससे कि वह टिकट सम्बन्धित है।

Provided that if both the engines attached to the train are to travel over the entire length of line to which the train staff applies, and the train is to be followed by other trains, a train staff ticket shall be delivered to the Loco Pilot of each of the engines attached to the first mentioned train.

(4) When a train is assisted by a second engine in the front, the train staff or a Train staff ticket, as the case may be shall be delivered to the Loco Pilot of the leading engine.

(5) When a material train has to stop between stations, the train staff shall be delivered to the Loco Pilot.

(6) The train staff or a train staff Ticket shall not be delivered to the Loco Pilot of any train until the train is ready to start.

(7) The Loco Pilot shall not accept a train staff Ticket unless he sees the Train staff at the same time in the possession of the person who delivers the train staff ticket to him.

12.07. Train-staff to be kept on engine:- When the Train staff is delivered to the Loco Pilot of a train, he shall place it in a conspicuous place provided for the purpose on the engine.

12.08. Trains not to be started until Train-staff returned:- When the train staff has been taken away from a station by the Loco Pilot of a train, no other train shall be started from that station to follow the first mentioned train until the train staff has been returned to the station.

12.09. Train-staff or Train- staff Ticket to be given up and Ticket to be cancelled on arrival of train:-

(1) Upon the arrival of a train at the station to which the Train staff or a train staff ticket extends, the Loco Pilot shall immediately give the train staff of train staff ticket to the Station Master, or to some railway servant appointed by special instructions to receive it.

(2) The person to whom any such Train-staff ticket is so delivered shall immediately cancel the same.

12.10 Procedure when engine is disabled on the Train:- staff and Ticket System: -

(1) If an engine which carries the Train-staff breaks down between two stations, the Fireman shall take the Train-staff of the Staff-station in the direction whence assistance can best be obtained, in order that the Train-staff may be available at that station for delivery to the Loco Pilot of the assisting engine.

(2) If an engine which carries a Train-staff Ticket breaks down between two stations, assistance shall ordinarily be obtained only from the station at which the Train-staff has been left; but if assistance can more readily be obtained from another station in the opposite direction, immediate steps shall be taken to have the Train-staff transferred to the other end of the section.

(3) Whenever an engine has broken down between two stations, the Fireman shall accompany the assisting engine to the spot.

12.11 Train-staff Tickets how kept:- Train-staff Tickets shall be kept in a Ticket-box provided for the purpose and fastened by an inside spring, the key to open the box being the Train-staff to which the tickets apply.

12.12. ट्रेन स्टाफ रखने की विधिः– यदि ट्रेन –स्टाफ किसी स्टेशन पर है तो उसे बॉक्स में नहीं छोड़ा जायेगा, बल्कि वह स्टेशन मास्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा।

12.13. ट्रेन स्टाफ टिकटों और बॉक्सों पर पहचान चिन्हः–

(1) प्रत्येक ट्रेन–स्टाफ पर, सम्बन्धित लाइन के भाग के दोनों ओर के ट्रेन–स्टाफ स्टेशनों का नाम अंकित होगा।

(2) लाइन के अलग–अलग भागों के लिये ट्रेन–स्टाफ टिकट और उनके बक्सों की पहचान अलग–अलग रंगों से होगी।

(3) 'अप' और 'डाउन' ट्रेन–स्टाफ, ट्रेन–स्टाफ टिकटों के भी अलग–अलग पहचान चिन्ह होंगे।

12.14. ट्रेन स्टाफ टिकट का प्रारूप (फार्म)ः– प्रत्येक ट्रेन–स्टाफ टिकट निम्नलिखित प्रारूप (फार्म) में होगा, अर्थात्ः–

टिकट नं0.. ....रेलवे

ट्रेन–स्टाफ टिकट

अप/डाउन

गाड़ी नं0.. दिनांक...

समय.. घंटे...मिनट................

लोको पायलट और गार्ड ,

आपको...स्टेशन से................................स्टेशन तक जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और ट्रेन–स्टाफ बाद में भेजा जाएगा ।

आपसे आगे जाने वाली गाड़ी नं0 ....के छूटने का समय........................घंटे.....................मिनट है।

हस्ताक्षर..

....का स्टेशन मास्टर

..................................स्टेशन की मोहर (स्टाम्प)

तारीख...

(टिकट के पीछे)

लोको पायलट इस टिकट को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह लाइन के उस भाग के ट्रेन–स्टाफ को देख नहीं लेता जिसमें उसे प्रवेश करना है। लोको पायलट पहुंचते ही तुरंत इस टिकट को स्टेशन मास्टर को अथवा इसे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को दे देगा और वह व्यक्ति उसे तुरन्त रद्द कर देगा।

12.15. जारी किये गये ट्रेन स्टाफ टिकटों का अभिलेख (रिकार्ड)ः– स्टेशन मास्टर जारी किए गए प्रत्येक ट्रेन–स्टाफ टिकट का अभिलेख (रिकार्ड) एक रजिस्टर में रखेगा जिसमें प्रत्येक टिकट का नम्बर तथा जिस गाड़ी के लिए वह जारी किया गया, दर्ज किया जायेगा।

12.16. निकट (होम) सिगनल के बाहर अवरोधः– निकट (होम) सिगनल के बाहर की लाइन तब तक अवरूद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि लाइन अवरूद्ध होने वाले भाग का ट्रेन–स्टाफ स्टेशन पर नहीं है।

12.17. ट्रेन स्टाफ और टिकट पद्धति में गाड़ियों की रक्षाः– यदि कोई गाड़ी जिसके पीछे एक दूसरी गाड़ी आ रही है, स्टेशनों के बीच लाइन पर रूक जाती है तो गार्ड और लोको पायलट नियम 10.09 के उपबन्धों के अनुसार उस गाड़ी की रक्षा के लिए कार्रवाई करेंगे।

12.12 Train-staff : how kept: - The Train-staff when at a station, shall not be left in the box but shall be the Station Master in safe custody.

12.13 Distinguishing marks on Train-staff Tickets and boxes:-

(1) Each Train-staff shall have shown upon it the name of the Train-staff station at each end of the portion of line to which it applies.

(2) The Train-staff and Train-staff Tickets and boxes for the different portions of the line shall be distinguished by different colours.

(3) "Up" and "Down" Train-staff Tickets shall also have distinguishing marks.

12.14 Form of Train staff Ticket:- Every Train-staff Ticket shall be in the following form:

Ticket No. …………………………… ………………… Railway

TRAIN-STAFF TICKET

Up/Down

Train No. …………………………………..

Time ………………………………….. Hours …….Minutes

To Loco Pilot and Guard,

You are authorized to proceed from ………………………………………… station to ………..…………… Station and the Train-staff will follow.

Train No. ……………… in front left ………………. Hours ……………….. minutes

Signed…………………………………. Station Master at …………………...

(Station Stamp)………………………

Date…………………………………….

(Back of Ticket)

The Loco Pilot shall not accept this ticket unless he sees the Train Staff for the portion of line which he is about to enter.

This ticket shall be given up by the Loco Pilot, immediately on arrival to the Station Master or other person authorized to receive it, and such person shall immediately cancel it.

12.15 Record of Train-staff Tickets issued:- The Station Master shall keep a record in a book of each Train-staff Ticket issued showing the number of each ticket and the particular train for which it was issued.

12.16 Obstruction outside the Home signal:- The line outside the Home signal shall not be obstructed unless the Train-staff of the portion of the line to be obstructed is at the station.

12.17 Protection of trains on the Train-staff and ticket System:- In the event of a train, which is followed by another train, stopping on the line between stations, the Guard and the Loco Pilot shall take action to protect the train in accordance with the provisions of Rule 10.09